भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1266
दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को उत्तर के लिए

टेक-होम राशन लाभार्थी

1266. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पात्र टेक-होम राशन (टीएचआर) लाभार्थियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत क्या है, जिनकी फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) आज की तिथि के अनुसार लंबित है;
(ख) इनमें से ऐसे लाभार्थियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत क्या है, जिनका एफआरएस लंबित होने का कारण आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी का पूरा नहीं होना है;
(ग) ऐसे लाभार्थियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत क्या है, जिनका टीएचआर वितरण बार-बार एफआरएस विफलता के कारण रोक दिया गया है या रुका हुआ है; और
(घ) क्या मंत्रालय ने एफआरएस एल्गोरिथम की सटीकता, त्रुटि दर, जनसांख्यिकीय पूर्वाग्रह और ऑफलाइन-मोड विश्वसनीयता की कोई स्वतंत्र संपरीक्षा कराई है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): फेस रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस के क्रियान्वयन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 एक सार्वभौमिक स्वयं चयन की जाने वाली व्यापक योजना है जो सभी पात्र लाभार्थियों, अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रसव के 6 महीने बाद तक स्तनपान कराने वाली माताओं एवं देश के पूर्वोत्तर राज्यों तथा आकांक्षी जिलों की किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए है। प्रत्येक लाभार्थी जो ई-केवाईसी प्रक्रिया और एफआरएस की प्रक्रिया को पूर्ण करने के इच्छुक है, वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पूर्ण हकदार है।

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ वास्तविक/इच्छित लाभार्थी तक पहुँचें, दोहराव और अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ न मिले, इसके लिए योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु, मंत्रालय ने अगस्त 2024 में 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है। इसके अलावा, दिसंबर 2024 में फेस रिकग्निशन सिस्टम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया, जिसमें फेस रिकग्निशन सिस्टम प्रमाणीकरण के बिना टीएचआर वितरण का विकल्प भी शामिल है। फेस रिकग्निशन सिस्टम के लिए लाभार्थियों को शामिल करने की पूरी प्रक्रिया क्रमिक तरीके से शुरू की जा रही है।

*****

अनुलग्नक।

'टेक होम राशन लाभार्थी' के संबंध में श्री फूलो देवी नेतम द्वारा पूछे गए दिनांक 10.12.2025 के लिए राज्यसभा के प्रश्न संख्या 1266 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

चेहरे की पहचान प्रणाली के कार्यान्वयन की 30 नवंबर, 2025 तक की स्थिति।

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल पात्र लाभार्थी	ईकेवाईसी और चेहरे का मिलान	ईकेवाईसी और चेहरे का मिलान (%)
1	चंडीगढ़	21,960	21,956	99.98
2	कर्नाटक	23,18,673	23,14,622	99.83
3	हिमाचल प्रदेश	2,67,187	2,64,982	99.17
4	तेलंगाना	11,02,495	10,91,627	99.01
5	दिल्ली	4,52,701	4,46,763	98.69
6	लक्षद्वीप	3,131	3,073	98.15
7	ओडिशा	19,38,273	18,85,571	97.28
8	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,698	7,473	97.08
9	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	20,219	19,495	96.42
10	आंध्र प्रदेश	15,47,545	14,91,279	96.36
11	मिजोरम	61,259	58,974	96.27
12	छत्तीसगढ़	12,70,013	12,10,738	95.33
13	महाराष्ट्र	28,36,440	26,86,609	94.72
14	राजस्थान	21,45,233	20,29,251	94.59
15	उत्तर प्रदेश	1,02,01,701	96,27,667	94.37
16	पश्चिम बंगाल	39,40,804	37,10,193	94.15
17	उत्तराखंड	4,79,765	4,47,799	93.34
18	मध्य प्रदेश	32,60,798	30,36,493	93.12
19	गोवा	33,772	31,288	92.64
20	हरियाणा	8,06,508	7,46,228	92.53
21	त्रिपुरा	1,58,136	1,46,167	92.43
22	पुदुच्चेरी	28,987	26,612	91.81
23	असम	14,86,337	13,60,564	91.54
24	तमिलनाडु	19,86,349	18,14,197	91.33
25	गुजरात	17,54,551	15,86,263	90.41
26	जम्मू और कश्मीर	4,38,722	3,92,331	89.43
27	बिहार	55,84,640	49,57,149	88.76
28	झारखंड	14,63,161	12,85,425	87.85
29	लद्दाख	9,124	7,977	87.43

30	पंजाब	7,49,415	6,50,791	86.84
31	मणिपुर	1,43,678	1,21,965	84.89
32	केरल	8,28,813	6,96,061	83.98
33	नागालैंड	60,068	48,675	81.03
34	मेघालय	2,13,585	1,70,748	79.94
35	सिक्किम	12,794	7,527	58.83
36	अरुणाचल प्रदेश	42,843	22,809	53.24
	कुल	**4,76,77,378**	**4,44,27,342**	**93.18**